

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे 11

133

दिनांक :- 10-5-2016

आदेश संख्या : 1/2016-17

वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प11(2)वित्त/राजस्व/2009 पार्ट 2 दिनांक 04/05/2016 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में कोष एवं लेखा विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	उप कोषाधिकारी, नीमराना (अलवर)	0	0	0	1	1	1
2	उप कोषाधिकारी, रैणी (अलवर)	0	0	0	1	1	1
3	उप कोषाधिकारी, बिदासर (चूरु)	0	0	0	1	1	1
4	उप कोषाधिकारी, दूदू (जयपुर)	0	0	0	1	1	1
5	उप कोषाधिकारी, बाप (जोधपुर)	0	0	0	1	1	1
6	उप कोषाधिकारी, बालेसर (जोधपुर)	0	0	0	1	1	1
7	उप कोषाधिकारी, मलसीसर (झुंझुनूं)	0	0	0	1	1	1
8	उप कोषाधिकारी, सूरजगढ़ (झुंझुनूं)	0	0	0	1	1	1
9	उप कोषाधिकारी, कुचामनसिटी (नागौर)	0	0	0	1	1	1
10	उप कोषाधिकारी, मूण्डवा (नागौर)	0	0	0	1	1	1
11	उप कोषाधिकारी, रियाबड़ी (नागौर)	0	0	0	1	1	1
12	उप कोषाधिकारी, तालेड़ा (बूंदी)	0	0	0	1	1	1
13	उप कोषाधिकारी, भुसावर (भरतपुर)	0	0	0	1	1	1
14	उप कोषाधिकारी, खण्डेला (सीकर)	0	0	0	1	1	1

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2086	3491	5129	10706
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2100	3505	5143	10748

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ2 (ग)(केडर रिव्यू) अलेसे I /

133

दिनांक :- 10-5-2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. अतिरिक्त निनी सचिव, निदेशक।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु



(डॉ मनीष शुक्ला)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)